

सं०सं०-1/दंत-02/2018-59(1)ब०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल,
पटना।

पटना, दिनांक- 26/10/2018

विषय:- पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, विपत्र कोड- 20-2210051050009 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू० 2,60,74,000/- (रुपये दो करोड़ साठ लाख चौहत्तर हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पत्रांक-1216, दिनांक-08.10.2018 के आलोक में पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को विपत्र कोड-20-2210051050009 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 2,60,74,000/- (रुपये दो करोड़ साठ लाख चौहत्तर हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

(2) यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दि०-17.04.98, 2880/वि०(2) दि०-06.05.06, 2938/वि०(2), दि०-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

(4) इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड-20-2210051050009 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

(5) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

Q

क्रमशः

(6) आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किय गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

(7) यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं वित्त/स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।

(8) इस आवंटनादेश द्वारा 0009.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए भी राशि शामिल है।

(9) इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

(10) इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

(11) इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(12) इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

26/10/18

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/दंत-02/2018- 59(1) ब० /स्वा०,पटना, दिनांक- 26/10/2018

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/10/18

सरकार के विशेष सचिव

दन्त महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड-20-2210051050009 को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0009.01.01 वेतन	22828000	17121000	5707000	22828000	0
0009.01.03 जीवन यापन भत्ता	2283000	1712250	570750	2283000	0
0009.01.04 मकान किराया भत्ता	3653000	2739750	913250	3653000	0
0009.01.05 परिवहन भत्ता	865000	648750	216250	865000	0
0009.01.06 चिकित्सा भत्ता	396000	297000	99000	396000	0
0009.01.07 अन्य भत्ता	79000	59250	19750	79000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	30104000	22578000	7526000	30104000	0
0009.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50000	25000	25000	50000	0
0009.11.01 यात्रा व्यय	15000	7500	7500	15000	0
0009.13.01 कार्यालय व्यय	1000000	500000	500000	1000000	0
0009.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	1000	500	500	1000	0
0009.13.03 दूरभाष	50000	25000	25000	50000	0
0009.13.04 विद्युत प्रभार	3200000	3200000	0	3200000	0
0009.13.05 विधि प्रभार	20000	20000	0	20000	0
0009.13.06 वर्दी/पोशाक	50000	25000	25000	50000	0
0009.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	700000	350000	350000	700000	0
0009.14.01 किराया महसूल एवं कर	500000	500000	0	500000	0
0009.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	30000	15000	15000	30000	0
0009.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	100000	50000	50000	100000	0
0009.20.03 प्रशिक्षण व्यय	100000	50000	50000	100000	0
0009.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2000000	1000000	1000000	2000000	0
0009.21.02 दवा भण्डार	1000000	750000	250000	1000000	0
0009.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	10000000	0	0	0	10000000
0009.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0
0009.28.02 संविदा सेवायें	40000000	30000000	10000000	40000000	0
0009.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	7000000	7000000	0	7000000	0
0009.52.01 मशीनें एवं उपस्कर - कार्यालय	12500000	6250000	6250000	12500000	0
कुल-	108420000	72346000	26074000	98420000	10000000

(रुपये दो करोड़ साठ लाख चौहत्तर हजार)

59(1) नं०
26-10-18

23/10/18
सरकार के विशेष सचिव